

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, एसडीएम, गुड़ामालानी

उनवान :

वादीगण

1. मेघाराम पुत्र राजाराम उर्फ राजूराम
2. पनाराम पुत्र राजाराम उर्फ राजूराम
जाति जाट निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजाराम उर्फ राजूराम वल्द उदा जाति जाट निवासी अरवाव
2. हनुमानराम वल्द वेहनाराम
3. गंगा पत्नी वेहनाराम
4. हेमी जोजे वगताराम
5. वगताराम वल्द रूगाराम
6. पूनमाराम वल्द रूगाराम
7. सोनी वेवा उदा
8. तुलसाराम वल्द रूगाराम जाति जाट निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
10. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा राणाप्रताप बजार गुड़ामालानी
11. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

दावा बाबत 88 RTA


मुकदमा नम्बर :-65...../2020

निर्णय दिनांक :-02.12..2021 (केम्प-ग्राम पंचायत मुख्यालय अरटवाव)

वादीगण की ओर से श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण व वादीगण स्वयं की एवं प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.12..2021 को श्री प्रमोद कुमार एसडीएम, गुड़ामालानी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादग्रस्त आराजी ग्राम अरटवाव के खेत खसरा नम्बर 446 रकबा 133-04 बीघा, खसरा नम्बर 443, 444, 445 रकबा क्रमशः 0-06, 0-09, 16-03 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम उर्फ राजाराम वल्द उदा के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।


यह आज तारीख 02.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत मुख्यालय अरटवाव
दिनांक : 12/12/21

क्रमांक: वाचक/2021/302

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुड़ामालानी।


(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी
पंचायत मुख्यालय अरटवाव
दिनांक : 12/12/21